भारत सरकार Government of India परमाण ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy केंद्रीयकृत काडर अन्भाग Centralized Cadre Section

> अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ.शि.म. मार्ग CSM Marg, मुंबई Mumbai-400 001

संNo.21/8(2)/2013-CCS/11575

सितंबर September 18, 2013

विषय: सहायक लेखाकार (पीबी-2 रु.9300-34800 + ग्रेड वेतन रु.4,600) पद के लिए

भर्ती नियम/मानक।

Sub: Recruitment Rules/Norms for the post of Assistant Accountant

(PB-2 Rs.9300-34800 + G.P. Rs.4,600).

वर्तमान भर्ती नियमों/मानकों के अनुसार, विभाग के वरिष्ठ तिपिक हातांकि सहायक लेखाकार के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय लिखित परीक्षा देने के पात्र हैं, परंतु वे सहायक लेखाकार पद पर 20% वरिष्ठता-सह-योग्यता कोटा के तहत प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं। सहायक लेखाकार पद पर प्रोन्नति के लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता कोटा के तहत वरिष्ठ लिपिकों को भी शामिल करने के संबंध में विभाग में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस मामले की जांच की गई है और विभाग में यह निर्णय लिया गया है कि सहायक लेखाकार पद पर प्रोन्निति के लिए 20% वरिष्ठता-सह-योग्यता कोटा के तहत ऐसे वरिष्ठ लिपिकों (पीबी-2 रु.9300-34800 + ग्रेड वेतन रु.4,200), जिन्होंने इस ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, को भी शामिल किया जाएगा।

वर्तमान भर्ती नियमों/मानकों में आवश्यक संशोधन करने और उन्हें अनुच्छेद 309 के तहत अधिसूचित करने की कार्रवाई अलग से की जा रही है।

In terms of the existing Recruitment Rules/Norms, though Senior Clerks of the Department are eligible to appear in the Departmental Written Examinations held for promotion to the post of Assistant Accountant, they are not eligible for promotion to the post of Assistant Accountant under 20% Seniority-cum-Fitness quota. Representations are being received in the Department to consider Senior Clerks also for promotion to the post of Assistant Accountant under Seniority-cum-Fitness quota. The matter has been examined and it has been decided in the Department to consider Senior Clerks (PB-2 Rs.9300-34800 + G.P. Rs.4,200) who have completed minimum of 3 years of regular service in the grade also for promotion to the post of Assistant Accountant under 20% Seniority-cum-Fitness quota.

Action to incorporate necessary amendment in the existing Recruitment Rules/Norms and notify the same under Article 309 is being taken separately.

eenle (7.9.2013

(सी. डी. चाक्को C.D. Chacko)

अवर सचिव (काडर)Under Secretary (Cadre)

सभी इकाइयों के प्रधान All Heads of Units. सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रधान All Administrative Heads of Units. पऊवि के सभी अधिकारी एवं अनुभाग All Officers & Sections in DAE.